



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001
संशोधित रिक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या-26/2024, शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6061 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक-01.03.2024 को विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था, जिसमें कोटिवार विवरणी निम्नवत थी :-

क्र.सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	दिव्यांग
1.	अनारक्षित वर्ग	1340	470	118	(VI) - 59
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	576	201		(DD) - 59
3.	अनुसूचित जाति	1283	413		(OH) - 60
4.	अनुसूचित जनजाति	128	41		(MD) - 60
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	1595	518		
6.	पिछड़ा वर्ग	1139	371		
कुल		6061	2014	118	238

CWJC No.-16760/2023, गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-20.06.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (C) No. 014086/2024 एवं अन्य सदृश वादों में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के आलोक में विवेचित पद हेतु नियुक्ति संबंधी कार्रवाई किये जाने के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-17073, दिनांक-22.10.2024 द्वारा उपलब्ध संशोधित कोटिवार रिक्तियों की विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	दिव्यांग
1.	अनारक्षित वर्ग	2303	808	114	(VI) - 56
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	575	201		(DD) - 58
3.	अनुसूचित जाति	1024	323		(OH) - 57
4.	अनुसूचित जनजाति	63	20		(MD) - 59
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	1148	360		
6.	पिछड़ा वर्ग	761	241		
7.	पिछड़ा वर्ग की महिला	187	-		
कुल		6061	1953	114	230

विज्ञापन की शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

25/10/2024